सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/SER-1551/MCOL/2/2024-RO-RNC-RU-IV दिनांक: 17.07.2025

सेवा मे,

सचिव,
कोयला मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
डॉ. राजेंद्र प्रसाद मार्ग,
नई दिल्ली -110001
Email Id: secy.moc@nic.in

विषय: "वरीयता सूची में नाम नहीं जोड़ने तथा सहायक आयुक्त /क्षेत्रीय आयुक्त - 11 के पद पर पदोन्नति में भेदभाव किए जाने" - श्री सुमन उरांव, लेखा अधिकारी, कोयला खान भविष्य निधि, क्षेत्र -IL सी.सी.एल .कैम्पस, दरभंगा हाउस, रांची)झारखंड (से प्राप्त अभ्यावेदन.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 08.05.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्री सुमन उरांव,
लेखा अधिकारी, कोयला खान भविष्य निधि,
क्षेत्र -IL सी.सी.एल .कैम्पस,
दरभंगा हाउस, रांची (झारखंड)
Mobile No:9430143273

(ii) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(iii) NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

फा. सं. NCST/SER-1551/MCOL/2/2024 -RO-RNC

श्री सुमन उरांव, लेखा अधिकारी, कोयला खान भविष्य निधि , क्षेत्र-IL सी.सी.एल. कैम्पस, दरभंगा हाउस, रांची (झारखंड), मोबाइल नंबर : 9430143273 के अभ्यावेदन के संबंध मे दिनांक 08.05.2025 को आयोग मुख्यालय में आयोग की माननीय सदस्य (डॉ आशा लकड़ा) की अध्यक्षाता में हुई सिटिंग /सुनवाई का कार्यवृत ।

सिटिंग की दिनांक : 08.05.2025 को 2:00 बजे।

सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

अभ्यावेदक श्री सुमन उरांव, लेखा अधिकारी, कोयला खान भविष्य निधि, क्षेत्र - IL सी.सी.एल. कैम्पस, दरभंगा हाउस, रांची (झारखंड) ने आयोग को लिखित शिकायत किया है कि वे कोयला खान भविष्य निधि संगठन, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्र रांची में वर्तमान में लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत है । दिनांक 28 अप्रैल, 1989 को कनिष्ठ आशुलिपिक पद पर उनका चयन हुआ था । अभ्यावेदक ने यह उल्लेख किया है कि उनके साथ में ही इसी पद पर योगदान देने वाले कर्मचारी आज सहायक आयुक्त तथा क्षेत्रीय आयुक्त पद पर पदोन्नति हो चुके है, जिसका वेतनमान क्रमशः 15600-39100 तथा ग्रेड पे 5400 से 6600 हो गया है तथा सभी सामान्य वर्ग समुदाय से आते हैं। किन्तु अभ्यावेदक का वेतनमान अभी भी 9300-34800 के ग्रेड पे 4800 है जबकि भारतीय संविधान के अनुसार वे अनुसूचित जनजाति वर्ग में आते हैं एवं इस वर्ग की उन्नति के लिए आरक्षण का प्रावधान होते हुये भी उनके विभाग द्वारा उन्हें उनके अधिकारों से भी वंचित किया गया है ।अभ्यावेदक ने आयोग से सहायक आयुक्त के पद रिक्त होने कि तिथि से उन्हे उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान करने हेतु उनके विभाग को निर्देश देने का अनुरोध किया है ।

2. आयोग द्वारा इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगे जाने हेतु सचिव, कोयला मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को नोटिस भेजा गया। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को भी दिनांक 13.10.2023 को नोटिस प्रेषित किया गया था। तत्पश्चात, 17.04.2025 को आयोग में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के सचिव किसी अपरिहार्य कारणवश उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने एक पत्र के माध्यम से आयोग को इसकी सूचना दी। आयोग ने अगली तिथि निर्धारित करने का आदेश दिया। तदनुसार, 08.05.2025 को अगली बैठक निर्धारित की गई एवं इसकी सूचना सिटिंग नोटिस के माध्यम से प्रेषित कर दी गई है।

3. सिटिंग के दौरान कोल नियंत्रक आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार) उपस्थित हुए एंव शिकायतकर्ता को सुनवाई मे आने से छूट प्रदान की गयी ।

आशा लकड़ा

मामले में आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुसंशाए की जाती है :

i. कनिष्ठ आशुलिपिक पद हेतु कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के भर्ती नियम (RR Rules) कनिष्ठ आशुलिपिक के पद हेतु कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित भर्ती नियमों (Recruitment Rules - RR Rules) की विस्तृत जानकारी।
ii. कनिष्ठ आशुलिपिक पद हेतु पदोन्नति के विकल्प तथा याचिकाकर्ता की पदोन्नति में विलंब के कारण कनिष्ठ आशुलिपिक के पद पर पदोन्नति के उपलब्ध विकल्प की जानकारी आयोग को प्रस्तुत करें।
iii. याचिकाकर्ता की पदोन्नति में विलंब के संभावित कारणों का विस्तृत विवरण आयोग को प्रस्तुत करें।

आशा लकड़ा
14/07/2025

(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्या

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(File No. NCST/SER-1551/MCOL/2/2024-RO-RNC)

ATTENDANCE SHEET

Sub: **Sitting to be held on 08.05.2025 at 02:00 P.M. in the case of** अभ्यावेदक श्री सुमन उरांव, लेखा अधिकारी, कोयला खान भविष्य निधि, क्षेत्र - IL सी.सी.एल. कैम्पस, दरभंगा हाउस, रांची (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन " वरीयता सूची में नाम नहीं जोड़ने तथा सहायक आयुक्त / क्षेत्रीय आयुक्त - 11 के पद पर पदोन्नति में भेदभाव किए जाने" के संबंध में।

Sr. No.	Department	Contact details	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member		**In Chair**
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav, Deputy Secretary		
4.	Shri Rahul, Investigator		
5.	Shri Rahul Yadav, Consultant (Legal)		
II	Secretary, Ministry of Coal, Government of India		
1.	Sajeesh Kumar. N Coal Controller / Commissioner (CMPFO) (Additional charge)	Scope Minar Laxmi Nagar 9910068075	[signature]
2.			
3.			
4.			
5.			
III	**Petitioner**		
1.			
2.			